न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 151/25

GCMS NO 20258/274

हंसा पुत्र हरफूल जाति मीना निवासी ग्राम रॉवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

वनाम

1. श्रीमती कैलाशी पत्नि सोभाग पुत्री श्योजी जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. श्रीमती कंचन पत्नि भरतलाल पुत्री श्योजी जाति मीना निवासी ग्राम सिरोही तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
3. सोमेश्वर पुत्र रामविलास जाति मीना निवासी ग्राम उकलाना तहसील अलीगढ उनियारा जिला टोंक
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार (भू अभिलेख) सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 2/25 निर्णय व डिक्री दिनांक 8.12.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री बालकृष्ण उपाध्याय

अभिभाषक रैस्पो0 श्री जगदीश प्रसाद श.

दिनांक 12.05.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 8.12.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र उदघोषणा,स्थाई निषेधाज्ञा एवं निरस्त करने निर्णय एवं आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर दिनांक 24.12.24 उनवानी श्रीमती कैलाशी बनाम हंसा न0 23/2022 पेश किया गया था। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी इस आशय का पेश किया कि वादी/अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया गया है। वादी ने सहायक भू प्रबंध अधिकारी से साठ गाठ करके मृतक मूल्या पुत्र राजाराम मीना का फर्जी वारिस वनकर एक पक्षीय रूप से नामा0 संख्या 148 दिनांक 17.6.92 को स्वीकृत करवा लिया जिसकी जानकारी होते ही प्रतिवादी द्वारा अपील जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ प्रस्तुत करने पर अपील संख्या 7/07 उनवानी कैलाशी बनाम हंसा वगै0 मे दिनांक 14.8.12 को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त नामा0 संख्या 148 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिमाण्ड किया गया था। जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश को राजस्व मंडल अजमेर मे विचाराधीन निगरानी स्वीकार करते हुए जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश को यथावत रखा है। वादी हंसा ने राजस्व मंडल अजमेर तक मृतक मूल्या ने हंसा के पक्ष मे तहरीर किया गया गोदनामा भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रस्तुत नही किया है। इससे स्पष्ट है कि वादी मृतक मूल्या का फर्जी गोद पुत्र बनकर प्रतिवादियो को विरासत के आधार पर प्राप्त होने वाली कृषि भूमि से महरूम करने पर आमादा है। राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 28.10.22 की पालना मे मृतक मूल्या पुत्र राजाराम मीना के विधिक वारिसानो की जॉच करते हुए तहसीलदार सवाई माधोपुर ने दिनांक 24.12.24 को प्रार्थीयां प्रतिवादीगणो को मृतक मूल्या की विधिक वारिस होने के कारण नामा0 दर्ज करने के आदेश पारित किये है। वादी ने प्रतिवादीगणो को पैतृक भूमि से महरूम करने के उद्वेश्य से झूठे तथ्यो के आधार पर वाद पत्र पेश किया है। जिसमे नाम मात्र की सत्यता नही है। वादी द्वारा सजरा खानदान गलत रूप से पेश किया है। प्रतिवादीगण द्वारा सजरा खानदान पेश किया है। वर्तमान मे विवाद मृतक मूल्या के नाम से दर्ज कृषि भूमि का है। सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादीयान एक मात्र विधिक वारिसान है। प्रार्थीयां पैतृक कृषि भूमि को प्राप्त करने के लिए सन 2007 से कानूनी लडाई लड रही है। राजस्व मंडल अजमेर से विरासत के बाबत अंतिम निर्णय होते हुए भी वादी प्रतिवादीगणो को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए वाद पत्र खारिज किया जावे। वादी ने आज तक राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 28.10.22 की अपील राजस्थान उच्च न्यायालय मे पेश नही की है। इसलिए राजस्व मंडल अजमेर के आदेश दिनांक 28.10.22 की पालना मे वादी को झूठे तथ्यो के आधार पर दावा पेश करने का अधिकार भी नही है। वादी स्वच्छ हाथो से न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्राथमिक स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्च आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो तथा विधिक प्रावधानो के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। पक्षकारान के मध्य उपजे विवाद के मुख्य बिन्दु ये है जिनके आधार पर मूल खातेदार के विधिक वारिस की घोषणा की जा सकती है। क्या श्योजी जीवित है या नही तथा क्या रेस्पो0प्रतिवादियां संख्या 1 कैलाशी श्रीमती नर्वदा से उत्पन्न श्योजी की पुत्री होने के आधार पर उसके भाई मूल्या की वारिस पाई जा सकती है ? क्या मूल खातेदार मूल्या के श्योजी के अलावा अन्य बहिने या बहिनो के वारिसान आदि और कोई उत्तराधिकारी है ? क्या वादी हंसा मृतक मूल्या का वारिस प्रमाणित होता है ?, न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के रिमाण्ड आदेश के आधार पर तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पुनः सुनवाई प्रारंभ की तथा इस क्रम मे पटवारी हल्का रावंल जहॉ विवादित आराजीयात स्थित है तथा जहॉ का मूल खातेदार व रेस्पो0 प्रतिवादियां श्रीमती कैलाशी का तथाकथित पिता श्योजी जो ग्राम रावंल का मूल निवासी था इस कारण पटवारी हल्का रांवल से रिपोर्ट तलब की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

गई जिसमे अपनी रिपोर्ट दिनांक 8.12.22 द्वारा यह अवगत कराया कि खातेदार मूल्या की अविवाहित मृत्यु हुई है तथा उसकी मृत्यु के समय उसके एक भाई श्योजी तथा 2 बहिने श्रीमती केसर व श्रीमती औकारी थी जिसमे श्रीमती औकारी का विवाह धणोली तहसील सवाईमाधोपुर मे हुआ तथा श्रीमती केसर का विवाह ग्राम शेरपुर खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर मे हुआ, साथ ही पटवारी हल्का रावंल द्वारा अपनी रिपोर्ट मे यह भी अवगत कराया कि रेस्पो0 श्रीमती कैलाशी के पिता श्योजी काफी साल पहले पास के गांव के मोरपाल मीना की विवाहिता पत्नि नर्वदा को भगा कर ले गया तथा श्रीमती कैलशी नर्वदा की पुत्री है तथा श्योजी जीवित है या मर चुका है इसकी कोई जानकारी नही है। तहसीलदार सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार चाही गई रिपोर्ट मे पटवारी हल्का मैनपुरा व पटवारी हल्का शेरपुर की रिपोर्ट अनुसार मूल खातेदार मूल्या की बहिन श्रीमती केसर व श्रीमती औकारी के वारिसान की रिपोर्ट अप्राप्त बताई गई है। पटवारी की रिपोर्ट से यह तथ्य भी स्थापित होता है कि हंसा अपीलांट वादी मूल खातेदार मूल्या के पिता राजाराम के एक मात्र भई्रा झीता के पुत्र हरफूल का पुत्र है। जिसे मूल्या ने अपनी मृत्यु से पूर्व गांव के पांच आदमियो के समक्ष वारिस नामा तैयार करवाकर अपना वारिस घोषित किया जिसके आधार पर अपीलांट को मृतक मूल्या का वारिस मानते हुए नामा0 संख्या 148 वादी के पक्ष मे दिनांक 17.6.92 को खोला गया जिसके आधार पर आज भी अपीलांट मृतक खातेदार मूल्या की चल अचल सम्पति पर काबिज है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदार अंकित चला आ रहा है। इस दौरान अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात को विकसित करने मे लाखो रूपये व्यय किये है तथा इस कम मे विवादित आराजीयात को बैक के रहन रख कर इस पर कृषि ऋण भी लिया हुआ है। तहसीलदार सवाई माधोपुर के समक्ष अपीलांट ने भी एक प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने का प्रयास किया परन्तु तहसीलदार द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर रेस्पो0 प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती कैलाशी के पक्ष मे नामा0 खोलने का आलोच्य आदेश दिनांक 24.12.24 को पारित किया है जिससे व्यथित होकर आवश्यक होने से अधिकारिता मे अपील अधीन धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम संभागीय आयुक्त भरतपुर कैम्प सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। पक्षकारान के मध्य चले विवाद के दौरान तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा पटवारी हल्का रावंल व पटवारी हल्का मैनपुरा के माध्यम से कराई गई जॉच से तथ्य सामने आया कि रेस्पो0 प्रतिवादियां संख्या 1 कैलाशी श्योजी की पुत्री न होकर पास के गांव के निवासी मोरपाल की विवाहिता पत्नि श्रीमती नर्वदा की पुत्री है। जिसे श्योजी गांव से अगवा कर ले गया था इस कारण यदि रेस्पो0 प्रतिवादिया श्रीमती कैलाशी को श्योजी के संसर्ग से नर्वदा के पैदा हुई अवैध संतान मान लिया जावे तो भी दूसरे की पत्नि से उत्पन्न अवैध संतान मात्र है जो अन्य उत्तराधिकारियो की उपस्थिति मे किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त नही कर सकती है। तहसीलदार सवाई माधोपुर के द्वारा कराई गई जॉच से यह तथ्य भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सुस्थापित हो जाता है कि श्रीमती कैलाशी के पिता श्योजी जीवित है या नही ? तथा जब तक यह स्थापित नही हो जावे कि श्योजी की मृत्यु हो चुकी है तब तक रेस्पो0 प्रतिवादियां संख्या 1 श्रीमती कैलाशी आने पिता श्योजी की सम्पति मे भी कोई अधिकार प्राप्त नही कर सकती है, तो ऐसे मे उसे श्योजी के भाई मूल्या का वारिस कैसे माना जा सकता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

विशेषकर इस परिस्थिति मे जब कि स्वयं रेस्पो0/प्रतिवादियां संख्या 1 कैलाशी द्वारा अपने पिता श्योजी को मृत घोषित कराते हुए स्वयं को श्योजी का उत्तराधिकार घोषित कराने बाबत वाद सिविल न्यायाधीश सवाई माधोपुर के प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 15.7.16 को खारिज किया जा चुका है। जो महत्वपूर्ण विधिक तथ्य है। जो पक्षकारान के मध्य उपजे विवाद का निस्तारण करने के लिए मुख्य है। पक्षकारान के मध्य विवाद स्वयं को मृतक खातेदार मूल्या का वारिस घोषित कराने बाबत है जिसका निर्णय नामा0 जैसी समरी नेचर की कार्यवाही मे नही किया जा सकता है बल्कि इस बाबत रेगूलर वाद से ही उदघोषणा की जा सकती है। इस बावत प्रार्थी अपीलांट द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय डी एन जे 2019 (1) राजस्व पेज संख्या 22 प्रस्तुत किया है जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त अवधारित किया है कि विरासत व उत्तराधिकार जैसे विषय नामा0 जैसी समरी प्रोसिडिंग के द्वारा निर्णित नही की जा सकती है। इसका निर्णय रेगूलर वाद के द्वारा ही किया जा सकता है। जिसे अनदेखा कर अधिनस्थ न्यायालय द्वा आलोच्य आदेश के माध्यम से अपीलाट का वाद खारिज कर विधिक भूल की है जो हस्तक्षेप योग्य है। पक्षकारान के मध्य मूल विवाद मूल्या की विरासत को लेकर है जिसे रेस्पो0 भाई की पुत्री होना मानकर क्लेम कर रही है। जबकि अपीलांट वारिस के रूप मे क्लेम कर रहे है। जिसका निर्णय मात्र रेगूलर वाद के द्वारा पक्षकारान की साक्ष्य लेकर किया जा सकता है। परन्तु इस महत्वपूर्ण विधिक व्यवस्था को अनदेखा कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित कर विधिक भूल की है जो हस्तक्षेप योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 8.12.25 निरस्त करते हुए अपीलांट प्राथी का वाद पत्र मेरिट पर निस्तारण करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का दोराने बहस कथन रहा कि अपीलांट/वादी द्वारा सहायक भू प्रबंध अधिकारी से साठ गाठ करके मृतक मूल्या पुत्र राजाराम मीना का फर्जी वारिस बनकर एक पक्षीय रूप से नामा0 संख्या 148 दिनांक 17.6.92 को स्वीकृत करवा लिया गया था। जिसकी जानकारी रेस्पो0 को होने पर उक्त नामा0 संख्या 148 को खारिज कराने हेतु जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष अपील संख्या 7/7 उनवानी कैलाश बनाम हंसा वगै0 मे दिनांक 14.8.12 को स्वीकार करते हुए उक्त नामा0 संख्या 148 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिमाण्ड किया गया है। इस प्रकार अपीलांट जिस नामा0 की आड मे भूमि को हडपना चाहता है वह जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय के द्वारा अपास्त हो चुका है। राजस्व मडल अजमेर के आदेश दिनांक 28.10.22 की पालना मे मृतक मूल्या पुत्र राजाराम मीना के विधिक वारिसानो की जॉच करते हुए तहसीलदार सवाई माधोपुर ने दिनांक 24.12.24 को प्रार्थीयां प्रतिवादीगणो को मृतक मूल्या के विधिक वारिसान होने के कारण नामा0 दर्ज करने के आदेश दिये गये है। राजस्व मंडल अजमेर से विरासत के बाबत अंतिम निर्णय होने के कारण वादी/अपीलांट द्वारा झूठे तथ्यो के आधार पर दावा पेश किया गया था। माननीय राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 28.10.22 की अपील अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे पेश नही की है। इससे स्पष्ट है कि वादी को झूठे तथ्यो के आधार पर दावा पेश करने का कोई अधिकार हासिल नही है। वादी द्वारा वाद पत्र उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एंव निरस्त कराने निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर दिनांक 24.12.24 उनवानी श्रीमती कैलाशी बनाम हंसा मु0न0 23/22 के विरूद्व पेश किया है। जो विधि से वर्जित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के बिन्दु संख्या 4 को वाद पत्र पर विधिक रूप से चस्पा माना गया है। अपीलांट/वादी द्वारा माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.22 का हवाला अपने वाद पत्र मे नही किया है। इस प्रकार वादी द्वारा क्लीन हैण्ड से दावा पेश नही किया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 1908 सीपीसी के प्रावधानो के तहत ही वादी का वाद पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं निरस्त करने निर्णय एवं आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर दिनांक 24.12.24 पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादी मूल्या पुत्र राजाराम का एक मात्र विधिक वारिस होने के कारण मूल्या की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामा0 संख्या 148 दिनांक 17.6.92 को स्वीकृत हुआ है। मृतक खातेदार मूल्या की इच्छा से उसकी मृत्यु के बाद उसकी समस्त चल अचल सम्पति का खातेदार घोषित किया गया था। जिसके आधार पर वादी/अपीलांट आज तक मृतक खातेदार की समस्त चल अचल सम्पति पर काबिज काश्त है। जबकि रेस्पो0 अधिवक्ता का कथन रहा कि उक्त नामा0 संख्या 148 को न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.8.12 के द्वारा निरस्त किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को मृतक मूल्या के विधिक वारिसान की जॉच कर विधिक वारिसान के नाम नामा0 दर्ज करने के आदेश पारित किये है। इस प्रकार अपीलांट/वादी मृतक मूल्या का विधिक वारिस नही है। जिसके कारण वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांट/वादी के कोई हक एवं अधिकार समाहित नही है। चूकि हस्तगत प्रकरण घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं निरस्त कराने आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर दिनांक 24.12.24 है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के बिन्दु संख्या 4 को वाद पत्र पर चस्पा मानकर वाद पत्र खारिज किया है, जबकि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का बिन्दु संख्या 4 के अन्तर्गत वाद पत्र केवल निरस्त कराये जाने आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर दिनांक 24.12.24 तक ही प्रभावी होता है, सम्पूर्ण वाद पत्र लागू नही होता है। नामा0 के आधार पर वाद पत्र का विनिश्चय नही हो सकता क्योकि नामा0 समरी प्रोसिडिंग है नामा0 के आधार पर हक एवं अधिकार तय नही हो सकते है। वादी के वादग्रस्त आराजीयात मे अधिकार समाहित है या नही तथा क्या श्योजी मृत या जीवित ? इसका विनिश्चय वाद के अंतिम निर्णय पर ही तय हो सकता है। वाद पत्र घोषणा खातेदार एवं स्थाई निषेधाज्ञा का भी है। जिसका विनिश्चय वाद पत्र मे तनकीयात कायम कर तनकीवार विवेचन कर तथा उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरान्त तय हो सकेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के बिन्दु संख्या 4 के दृष्टिगत सम्पूर्ण वाद को खारिज किया है जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को तनकीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कायम की जाकर तनकीवार विवेचन करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 2/25 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.12.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे तनकीयात कायम कर तनकीवार विवेचन करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर प्रकरण मे पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 15.06.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर